

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

फ्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-४/विविध/2018

दिनांक 18-03-2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (मुख्यालय)

विषय:- आदर्श आचार सहिता लागू होने से पूर्व जारी स्थानान्तरण आदेशों की पालना में कार्यग्रहण करवाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लोकसभा चुनाव घोषणा से पूर्व लोकसेवकों के इस कार्यालय स्तर से स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के आदेश प्रसारित किये गये थे। लेख है कि कतिपय लोकसेवक कार्यमुक्त हो चुके थे परन्तु आदर्श आचार सहिता लागू हो जाने के कारण कार्यग्रहण नहीं कर पाये। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि चुनाव आयोग से शिथिलन प्राप्त होने तक लोकसेवक अपनी आगामी उपस्थित नवीन पदस्थापित स्थान से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) कार्यालय में देवे तथा सूचना इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि:- समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) कार्यालय पर प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित करें तथा निरन्तर इस कार्यालय को सूचना प्रेषित की जानी सुनिश्चित करें।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर